**प्रेस नोट          पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक  16.10.2025**

# आगामी त्यौहारों के दौरान
# यातायात डायवर्जन व्यवस्था

कृपया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आगामी त्यौहारों धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु निम्न प्रकार से यातायात का डायवर्जन किया जायेगाः:-

**दिनांक 17-10-2025 समय 12:00 बजे से दिनांक 24-10-2025 समय प्रातः 11:00 तक भारी (पिकअप/छोटा हाथी, ट्रक, ट्रॉला, बस आदि) वाणिज्यिक वाहनों के सम्बन्ध में व्यवस्थाः-**

- उपरोक्त सभी वाहनों का हापुड तिराहा से घण्टाघर की ओर परिचालन पूर्ण से प्रतिबन्धित रहेगा। ये सभी वाहन मेरठ तिराहा से ए0एल0टी0 होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
- उपरोक्त वाहन साजन मोड से चौधरी मोड की ओर नहीं जा सकेंगे। सभी वाहन साजन मोड से लोहा मण्डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क से विवेकानन्दनगर फ्लाईओवर से हापुड चुंगी होते हुए गंतव्य को जायेंगे।
- लालकुआ से हापुड तिराहा के मध्य व चौधरी मोड से पुराना बस अडडा के मध्य सभी प्रकार की रोडवेज /सिटी बसों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- गऊशाला फाटक से हापुड तिराहा/घण्टाघर की ओर उपरोक्त वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- पुराना बस अडडा से चौधरी मोड के मध्य उपरोक्त वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

**दिनांक 18-10-2025 समय प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 22-10-2025 तक हल्के वाहनों के सम्बन्ध में व्यवस्थाः-**

- पुराना बस अडडा से चौधरी मोड के मध्य ऑटो का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- दिल्ली जूस कॉर्नर से दिल्ली गेट व मालीवाडा चौराहा, जस्सीपुरा व तुराब नगर मार्केट की ओर ई-रिक्शा का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मोहननगर से लाल कुआ व लाल कुआ से मोहननगर के मध्य संचालित होने वाले ऑटो केवल ठाकुरद्वारा (हापुड़ तिराहा) फ्लाईओवर के ऊपर से ही आवागमन कर सकेंगे।

**-:पार्किंग व्यवस्था:-**

- घण्टाघर रामलीला मैदान
- कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नगर निगम रमते राम रोड
- अम्बेडकर रोड नेहरू युवा केन्द्र

**नोटः-उपरोक्त डायवर्जन व्यवस्था में कभी भी आवश्यकतानुसार संसोधन किया जा सकता है।**

## थाना निवाडी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 15.10.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त पंकज गोस्वामी पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम रायपुर तालाब थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर उम्र लगभग 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं यह तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-**

पंकज गोस्वामी पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम रायपुर तालाब थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर उम्र लगभग 21 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण-**

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना निवाडी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना निवाडी पुलिस टीम।

## थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

**कार्यवाही का विवरणः-** आज दिनांक 16.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त सोनू पुत्र स्व श्री धीर सिहं हाल निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार लोनी थाना लोनी बोर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम बन्ती खेडा थाना बाबरी जिला शामली उम्र करीब 34 वर्ष को लोनी बॉर्डर से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध

थाना लोनी बॉर्डर पर धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त बरामद गांजे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सस्ते दामों पर खरीद कर लाता है और लोनी बॉर्डर क्षेत्र में लाकर चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देता है। इसी क्रम में पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्त उपरोक्त को अवैध गांजा बेचते हुये पकड़ लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

सोनू पुत्र स्व श्री धीर सिहं निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार लोनी थाना लोनी बोर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम बन्ती खेडा थाना बाबरी जिला शामली उम्र करीब 34 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

## थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.10.2025 को थाना मोदीनगर पर नाबालिग वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ छेडछाड करना व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 75/351(3)बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 16.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग मे वाँछित अभियुक्त अंकित पुत्र मंगते निवासी गली न0 1 इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को बस अड्डा मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीडिता को पहले से ही जानता था। पीडिता के घर पर उस दिन कोई नही था इस मौके का फायदा उठाकर मैं गलत नीयत से उसके घर गया व छेडखानी की तथा धमकी दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अकिंत पुत्र मंगते निवासी गली न0 1 इन्द्रापुरी थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## थाना अंकुर विहार साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 49950/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका आमरीन नि0 जी-263 बुद्ध नगर नियर सुनहरी मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 49950/- रूपये आवेदिका को वापस कराये गये।

**कार्यवाही का विवरण-**

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका आमरीन नि0 जी-263 बुद्ध नगर नियर सुनहरी मस्जिद थाना अंकुर विहार गाजियाबाद के साथ 49950/- रूपये की ऑनलाइन ठगी की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना अंकुर विहार कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित मर्चेन्ट से पत्राचार कर अथक प्रयासों के बाद आवेदिका को 49950/-रूपये की कुल धनराशि वापस करायी गयी। आवेदिका द्वारा थाना अंकुर विहार पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

## कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार साइबर सेल टीम।

**थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर गोली मारकर नृशंस हत्या करना व शव छिपाये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी में फेंक देना व अपहृत की एक्टिवा को आग लगाकर जला देने जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।**

दिनांक 13.06.2025 को वादी श्री गोपाल पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा सूचना अंकित करायी कि दिनांक 09.06.2025 को वादी के भाई अंकुर को आरोपी 1.अमन पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद 2. शिवम उर्फ सैंकी पुत्र विनोद निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद 3. सोनू पुत्र रौमी निवासी ग्राम भगौट खेकडा जिला बागपत व उनके अन्य साथी अज्ञात द्वारा एक सफेद गाडी स्विफ्ट जिसका न0 DL 9 CAD 6636 से अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी जिस सम्बन्ध में थाना लोनी पर दिनांक 13.06.2025 को ही मु0अ0सं0 282/2025 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 नीरज कुमार के सुपुर्द हुयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये दिनांक 15.06.2025 को अभियोग की विवेचना उ0नि0 दीपक कुमार प्रभारी चौकी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद के सुपुर्द की गयी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 19.06.2025 को अभियुक्त शिवम उर्फ सैंकी को गिरफ्तार किया गया जिसने जुर्म का इकबाल करते हुये अपहृत अंकुर की हत्या अन्य साथी सोनू पुत्र रौमी व सौरभ पुत्र बेगन उर्फ बेगनाथ के साथ मिलकर दिनांक 07.06.2025 को गोली मारकर हत्या कर हिण्डन नदी में शव फेंक देना बताते हुये हत्या में प्रयुक्त आला ए कत्ल पिस्टल को बरामद करा देना बताया। अभियुक्त शिवम उर्फ सैंकी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 पिस्टल व 04 खोखा कारतूस दिनांक 19.06.2025 को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उर्फ सैंकी उपरोक्त द्वारा मृतक अंकुर की हत्या में प्रयुक्त पिस्टल से ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया पुलिस बल बाल बाल बचा आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी अभियुक्त के पैर का निशाना लगाकर फायर किया गया व अभियुक्त शिवम उर्फ सैंकी को गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना लोनी पर अभियुक्त शिवम उर्फ सैंकी के विरुद्ध मु0अ0सं0 299/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सौरभ पुत्र बेगन उर्फ बेगनाथ को भी दिनांक 19.06.2025 को ही गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही पर मृतक अंकुर की हत्या की घटना में प्रयुक्त कार DL 9 CAD 6636 व मृतक अंकुर की जुपिटर स्कूटी जली हुयी हालत में बरामद की गयी। मृतक अंकुर का शव दिनांक 19.06.2025 को थाना नन्दग्राम गाजियाबाद क्षेत्र हिण्डन नदी से क्षत विक्षत हालत में बरामद हुआ जिसके कपडों व शरीर के बनावट से वादी मुकदमा व उसके परिजनों द्वारा अंकुर के रुप में शिनाख्त की गयी। प्रकरण की गंभीरता व अभियुक्तगण के नृशंस कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 15.10.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये अभियोग पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

## थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 08 प्लास्टिक के कट्टे बरामद।

**कार्यवाही का विवरणः-** दिनांक 15.10.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे सहित 03 अभियुक्त 1. जतिन चौहान पुत्र मुकेश चौहान निवासी म0न0 37 बिहारी नगर नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घटांघर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अरमान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी म0न0 180 नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घंटाघर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व 3. लविश शर्मा पुत्र स्व0 प्रशान्त शर्मा निवासी म0न0 38 नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घंटाघर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को राजपुर जाने वाल रास्ते से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 08 प्लास्टिक के कट्टे सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 9(B)1(b) विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तों से बरामद अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बाहर से सस्ते दामों में खरीदकर टीलामोड़ क्षेत्र में लाभ कमाने के लिये बेच रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

1. जतिन चौहान पुत्र मुकेश चौहान निवासी म0न0 37 बिहारी नगर नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घटांघर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. अरमान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी म0न0 180 नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घंटाघर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
3. लविश शर्मा पुत्र स्व0 प्रशान्त शर्मा निवासी म0न0 38 नवयुग मार्केट थाना कोतवाली घंटाघर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे से भरे 08 प्लास्टिक के कट्टे बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

## थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड व 50 हज़ार रुपये कैश बरामद, 5 लाख रूपये फ्रीज कराये गये।

श्री संजय कुमार, निवासी वसुन्धरा, गाजियाबाद के साथ दिनांक 05.09.2025 से 12.09.2025 के बीच साइबर अपराधियों द्वारा मनी लॉड्रिंग केस का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट में रखकर उनके बैंक खाते से 19 लाख 90 हजार रूपये की साइबर फ्रॉड की घटना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में इस गैंग के सदस्य अभियुक्त अनुज मित्तल को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 02 सिम कार्ड तथा 50 हजार रूपये नगद के साथ दिनांक 15.10.2025 को थाना क्षेत्र सिहानी गेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

मुकदमे से सम्बन्धित 5 लाख रुपये फ्रीज कराये गये है।

**पूछताछ का विवरण -**

अभियुक्त अनुज मित्तल ने पूछने पर बताया कि वह 12वीं के बाद होटल मैनेजमेन्ट का कोर्स कर क्लाउड किचन के व्यवसाय में आया। सड़क दुर्घटना के कारण वह इस व्यवसाय को आगे नहीं चला पाया। उसके बाद वह एक सीए के साथ मिलकर जीएसटी व इन्कम टैक्स रिटर्न का काम करने लगा। इसी दौरान गौरव चौहान उर्फ मोनू ठाकुर निवासी गोविन्दपुरम गाजियाबाद मूल निवासी मोदीनगर गाजियाबाद के सम्पर्क में आया। गौरव चौहान उर्फ मोनू ठाकुर पहले नोएडा में कॉल सेन्टर चलाता था, बाद में गौरव चौहान उर्फ मोनू ठाकुर साइबर फ्रॉड में लिप्त हो गया। उसके कहने पर साइबर फ्रॉड के लिये अनुज उसे बैंक खाते उपलब्ध कराने लगा। **अनुज ने आगे बताया कि वर्ष 2021 में वह भोपाल साइबर क्राइम से साइबर धोखाधड़ी में जेल जा चुका है।** गौरव चौहान उर्फ मोनू ठाकुर उसे बैंक खाते में साइबर फ्रॉड के आये हुए पैसे के सापेक्ष उसे 10 प्रतिशत कमिशन देता था। लालच में आकर उसने इस बार अपने नाम से खाता खुलवाकर दे दिया था ताकि बैंक खाता धारक को उसे पैसे न देने पड़ें। गौरव चौहान उर्फ मोनू ठाकुर को उसने फ्रॉड के आये हुए पैसे एटीएम से निकालकर दिये थे। उसे 50 हजार रूपये कमिशन के मिले थे जो कि गिरफ्तारी के दौरान उससे बरामद हुऐ हैं।

इस गैंग के सदस्य गौरव ठाकुर उर्फ मोनू निवासी गोविन्दपुरम गाजियाबाद मूल निवासी मोदीनगर गाजियाबाद की तलाश की जा रही थी।

विवेचना से यह भी प्रकाश में आया है कि इस गैंग के सदस्यों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के लिये पीड़ित को कम्बोडिया से व्हाट्सअप कॉल की गयी थी।

अभियुक्तों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के लिये जिन नम्बरों का प्रयोग किया गया वो दिल्ली तथा त्रिपुरा से इशू हुए थे। इन सिम को इशू करने वाले Point Of Sell (POS) के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त अनुज मित्तल की एटीएम से पैसे निकालने की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-** अनुज मित्तल पुत्र स्व0 आनन्द मित्तल हाल निवासी (किरायेदार) K-37 नेहरू नगर तृतीय थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद मूल पता मकान नं0 36 नियर घण्टाघर करनपुर देहरादून उत्तराखण्ड उम्र करीब 42 वर्ष शिक्षा 12वीं पास।

**गिरफ्तारी स्थान** –

थाना क्षेत्र सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण** –

02 मोबाइल फोन, 02 सिम कार्ड व 50 हजार रूपये नगद।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

## थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी व लूट की घटना करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 15.10.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. परवेज पुत्र मुशर्रफ उम्र 24 वर्ष निवासी ई-18, सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 2. आमिर पुत्र अमरुद्दीन उम्र 23 वर्ष निवासी झल्लू चौक के पास सब्बीर नेता के बराबर वाला मकान किरये पर बी ब्लाक सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद को प्राचीन शिव मन्दिर के पास प्रताप विहार थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रोड, बाजार, व भीड भाड इलाको में मोटर साईकिल को चोरी कर लेते है तथा उन मोटर साईकिल को रास्ते दामों पर बेच देते है। आज जो हमसे मोटर साईकिल बरामद हुई है यह भी हमने चोरी की थी। जिन्हें हम बैचने की फिराकर ने घूम रहे थे कि पुलिस चैकिंग के दौरान पकड़ गये।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. परवेज पुत्र मुशर्रफ उम्र 24 वर्ष निवासी ई-18, सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद।
2. आमिर पुत्र अमरुद्दीन उम्र 23 वर्ष निवासी झल्लू चौक के पास सब्बीर नेता के बराबर वाला मकान किरये पर बी ब्लाक सेक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण-**

1 मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेन्टर प्रो रंग काला न० DL 75 BU 7484

**गिरफ्तार एव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

## थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी 02 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 15.10.2025 को रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. रोहन पुत्र बब्लू निवासी म0नं0 74 गली नं0 13 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद 2. अभिषेक पुत्र स्व0 प्राण सिंह निवासी गली न0 13 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद को उत्सव भवन

तिराहा बाल्मिकी बस्ती की तरफ थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल व चोरी 02 फोन बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रोड़, बाजार , व भीड़ भाड़ इलाको मोटर साईकिल/मोबाइल को चोरी कर लेते है तथा उन मोटर साईकिल एवं मोबाइल को राह चलते लोगों को रास्ते दामों पर बेच देते है। आज जो हमसे मोटरसाइकिल व मोबाईल बरामद हुये है वह भी चोरी के है। जिन्हे हम बैचने की फिराकर में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

**अभियुक्तों नाम पता -**

1. रोहन पुत्र बब्लू निवासी म0नं0 74 गली नं0 13 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. अभिषेक पुत्र स्व0 प्राण सिंह निवासी गली न0 13 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

1. मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर रजि0 नं0 UP16BK7358
2. ओप्पो आईएमईआई 861468073057074 व 861468073057066
3. विवो मोबाइल रंग गहरा हरा

**अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास**

1. अभि0 रोहन उपरोक्त पर – 01 मारपीट से सम्बन्धित थाना विजयनगर गाजियाबाद पर
2. अभि0 अभिषेक उपरोक्त पर – 01 चोरी का थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद , 01 अभियोग चोरी थाना विजयनगर गाजियाबाद , 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना विजयनगर पुलिस टीम।